भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1257
जिसका उत्तर शुक्रवार, 9 फरवरी, 2024 को दिया जाना है

जिला न्यायालयों में अवसंरचना

1257. श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी :

श्री रघु राम कृष्ण राजू :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाइब्रिड सुनवाई और अवसंरचना के लिए उपकरणों की कमी के कारण शहर के जिला न्यायालयों में कानूनी कार्यवाही बाधित हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/न्यायालय-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या अनेक अधिवक्ता/न्यायाधीश विशेषकर कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद हाइब्रिड सुनवाई के सुचारु कार्यकरण के लिए उपयुक्त अवसंरचना की मांग कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन न्यायालयों का न्यायालय-वार/ राज्य-वार ब्यौरा क्या है, जिन्होंने किसी मुकदमे में पक्षकारों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहस करने की अनुमति दी है ; और

(घ) इस संबंध में अब तक क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं और इसके लिए न्यायालय-वार/राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत/व्यय की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के हिस्से के रूप में, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना "भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" के आधार पर भारतीय न्यायपालिका के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) विकास के लिए कार्यान्वयन के अधीन है । ई-न्यायालय परियोजना को भारत के ई-समिति उच्चतम न्यायालय के सहयोग से न्याय विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है । ई-न्यायालय परियोजना का चरण-1, 2011-2015 के बीच लागू किया गया था। परियोजना का चरण-2, 2015 से 2023 तक बढ़ाया गया।

ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का उपबंध प्रमुख घटकों में से एक है। परियोजना के चरण I के दौरान, 488 न्यायालय परिसरों और 342 तत्स्थानी जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का संचालन किया गया था, जबकि परियोजना के चरण-2 में, 3240 न्यायालय परिसरों और तत्स्थानी 1272 जेलों के बीच वीसी सुविधा को सक्षम किया गया है। परियोजना के ई-न्यायालय चरण-2 में, ई-न्यायालय तालुक स्तरीय न्यायालयों सहित सभी न्यायालय परिसरों को एक

वीडियो कॉन्फ्रेंस उपकरण प्रदान किया गया है और 14,443 न्यायालय कक्षों (राज्यवार विवरण उपाबंध-1 में संलग्न है) के लिए अतिरिक्त वीसी उपकरणों के लिए निधि स्वीकृत की गई है। 2506 वीसी केबिन स्थापित करने के लिए निधि उपलब्ध कराई गई है (उपाबंध-2 में राज्य-वार ब्यौरा संलग्न)। ई-सुनवाई की सुविधा के लिए 1500 अतिरिक्त वीसी लाइसेंस प्राप्त किए गए हैं।

परियोजना के चरण-2 में, देश भर के उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में ई-सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र न्यायालय परिसरों में स्थित हैं और डिजिटल विभाजन को पाटने और वकीलों और वादकारियों को सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य एक वन-स्टॉप केंद्र के रूप में काम करना है जो न्यायालय के मामलों/आदेशों/निर्णयों, न्यायालय से संबंधित मामलों की सुविधा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा और ई-फाइलिंग सेवाओं के बारे में नि:शुल्क जानकारी प्रदान करता है, विशेष रूप से उन लोगों को लाभान्वित करता है जो जिनके पास प्रौद्योगिकी तक पहुंच की कमी है या दूरदराज के क्षेत्रों में रहते हैं । तारीख 31.12.2023 तक, विधि व्यवसायियों और वादकारियों को मूल्यवान सेवाएं प्रदान करने में इस पहल के सकारात्मक प्रभाव को रेखांकित करते हुए देश भर में कुल 880 ई-सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। परियोजना के चरण 3 के अधीन, डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए 394.48 करोड़, रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ 4400 ई-सेवा केंद्रों वाले सभी न्यायालय परिसरों की परिपूर्णता का उपबंध किया गया है।

कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग न्यायालयों के मुख्य आधार के रूप में उभरी क्योंकि भौतिक सुनवाई और सामूहिक मोड में सामान्य न्यायालय की कार्यवाही संभव नहीं थी। वीसी के संचालन में एकरूपता और मानकीकरण लाने के लिए, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 6 अप्रैल 2020 को एक व्यापक आदेश पारित किया गया था, जिसने वीसी के माध्यम से की गई न्यायालय की सुनवाई को विधिक पवित्रता और वैधता प्रदान की। इसके अतिरिक्त, वीसी नियमों को एक 5-न्यायाधीश समिति द्वारा तैयार किया गया था, जिसे स्थानीय संदर्भण के पश्चात् अपनाने के लिए सभी उच्च न्यायालयों में परिचालित किया गया था और यह ई-समिति, भारत के उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सभी उच्च न्यायालयों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग नियम लागू किए हैं। कोविड लॉकडाउन प्रारंभ होने के पश्चात् से, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों ने 2,17,99,976 मामलों की सुनवाई की, जबकि उच्च न्यायालयों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके 31.12.2023 तक 82,76,595 मामलों (कुल 3 करोड़) की सुनवाई की है (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय-वार निपटाए गए मामलों की संख्या का ब्यौरा उपाबंध-3 पर है) उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन अवधि के प्रारंभ के पश्चात् से 04.01.2024 तक 6,24,427 सुनवाई की है जो इसे एक वैश्विक नेता बनाता है । परियोजना के चरण-3 में, विभिन्न न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपलब्ध अवसंरचना को और बढ़ाने तथा उन्नत करने के लिए 228.48 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, सर्वेश माथुर बनाम रजिस्ट्रार जनरल, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (डब्ल्यूपी (सीआरएल) सं. 351/2023), के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश (तारीख 06.10.2023) पारित किया है जिसमें कोई भी उच्च न्यायालय बार के किसी भी सदस्य या ऐसी सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक मुकदमेबाज को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं या हाइब्रिड मोड के माध्यम से सुनवाई तक पहुंच से इनकार नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे आवश्यक वीसी सुविधाओं को स्थापित करने के लिए उच्च न्यायालयों को आवश्यक निधि प्रदान करें।

****

उपाबंध-1

'जिला न्यायालयों में अवसंरचना' के संबंध में, लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1257, जिसका उत्तर 09/02/2024 को दिया जाना है, के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण ।

देश भर के न्यायालय कक्षों के लिए वीसी उपकरणों* का उच्च न्यायालय-वार व्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	कार्यरत न्यायालय कक्षों की संख्या	पहले से प्रदान किए गए वीसी उपकरणों की संख्या	उपलब्ध कराए जाने वाले उपकरणों की अतिरिक्त संख्या
क	ख	ग	घ	ङ
1	इलाहाबाद	2438	150	2288
2	आंध्र प्रदेश	550	212	338
3	बंबई	2178	486	1692
4	कलकत्ता	840	88	752
5	छत्तीसगढ	395	90	305
6	दिल्ली	479	6	473
7	गुवाहाटी	442	194	248
8	गुजरात	1078	327	751
9	हिमाचल प्रदेश	135	43	92
10	जम्मू-कश्मीर	218	86	132
11	झारखंड	417	28	389
12	कर्नाटक	1029	200	829
13	केरल	508	159	349
14	मध्य प्रदेश	1274	203	1071
15	मद्रास	1169	267	902
16	मणिपुर	38	37	1
17	मेघालय	36	64	0
18	ओडिशा	688	141	547
19	पटना	1046	76	970
20	पंजाब और हरियाणा	972	118	854
21	राजस्थान	1239	238	1001
22	सिक्किम	21	17	4
23	तेलंगाना	440	129	311
24	त्रिपुरा	78	66	12
25	उत्तराखंड	184	52	132
	कुल	**17892**	**3477**	**14443**

* **14443** न्यायालय कक्षों के लिए वीसी उपकरणों की कुल अनुमानित लागत **28.886** करोड़ रुपये है।

उपाबंध-2

'जिला न्यायालयों में अवसंरचना' के संबंध में, लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1257, जिसका उत्तर 09/02/2024 को दिया जाना है, के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण ।

देश भर के न्यायालय परिसरों में वीसी कैबिन और कनेक्टिविटी* का उच्च न्यायालय-वार व्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	वीसी केबिन की संख्या
क	ख	ग
1	इलाहाबाद	438
2	आंध्र प्रदेश	57
3	बंबई	271
4	कलकत्ता	128
5	छत्तीसगढ	58
6	दिल्ली	103
7	गुवाहाटी	77
8	गुजरात	94
9	हिमाचल प्रदेश	18
10	जम्मू-कश्मीर	34
11	झारखंड	78
12	कर्नाटक	128
13	केरल	52
14	मध्य प्रदेश	169
15	मद्रास	140
16	मणिपुर	12
17	मेघालय	11
18	ओडिशा	84
19	पटना	171
20	पंजाब और हरियाणा	135
21	राजस्थान	143
22	सिक्किम	11
23	तेलंगाना	52
24	त्रिपुरा	17
25	उत्तराखंड	25
कुल		2506

* वीसी केबिन के लिए उपकरणों की कुल अनुमानित लागत **5.012** करोड़ रुपये है।

उपाबंध-3

'जिला न्यायालयों में अवसंरचना' के संबंध में, लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1257, जिसका उत्तर 09/02/2024 को दिया जाना है, के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण । 31.12.2023 तक देश भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके निपटाए गए मामलों की संख्या के संबंध में उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय-वार व्यौरा निम्नानुसार है:

31 दिसंबर 2023 तक उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा निपटाए गए (आभासी सुनवाई) मामलों की संख्या				
क्रम संख्या	**उच्च न्यायालय**	**उच्च न्यायालय**	**जिला न्यायालय**	**कुल योग**

1	इलाहाबाद	243581	5381161	5624742
2	आंध्र प्रदेश	390472	1423856	1814328
3	बंबई	48660	134931	183591
4	कलकत्ता	146925	87131	234056
5	छत्तीसगढ	103554	158365	261919
6	दिल्ली	319540	5072149	5391689
7	गुवाहटी-अरुणाचल प्रदेश	2327	8146	10473
8	गुवाहटी-असम	266358	406866	673224
9	गौहाटी - मिजोरम	3965	13268	17233
10	गौहाटी - नागालैंड	976	737	1713
11	गुजरात	395254	200449	595703
12	हिमाचल प्रदेश	183975	181463	365438
13	जम्मू-कश्मीर	259521	502761	762282
14	झारखंड	220725	665438	886163
15	कर्नाटक	1239626	140745	1380371
16	केरल	163639	583517	747156
17	मध्य प्रदेश	671777	898771	1570548
18	मद्रास	1450678	387133	1837811
19	मणिपुर	47972	15399	63371
20	मेघालय	4552	41936	46488
21	ओडिशा	316542	277801	594343
22	पटना	277203	2423727	2700930
23	पंजाब और हरियाणा	586805	2320628	2907433
24	राजस्थान	234464	191314	425778
25	सिक्किम	529	14371	14900
26	तेलंगाना	588797	191104	779901
27	त्रिपुरा	21761	31947	53708
28	उत्तराखंड	86417	44862	131279
	कुल	**8276595**	**21799976**	**30076571**

****